जेंडर, जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा

जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (सी.सी.ए.एफ.एस.)
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, सारांश पुस्तिका

दक्षिणी एशिया की ग्रमीण महिलाओं को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए तैयार करना

भारत

अक्टूबर 2012

CGIAR
RESEARCH PROGRAM ON
Climate Change, Agriculture and Food Security
CCAFS
Alternative Futures

इस सारांश पुस्तिका को श्रीमती अदिति कपूर, अल्टरनेटिव फ्यूचर्स ने सी.जी.आई.ए.आर. – जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम (सी.सी.ए.एफ.एस.) के रिसर्च प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित, सी.सी.ए.एफ. के वर्किंग पेपर नं0 12 के आधार पर समन्वित किया और लिखा है। अतिरिक्त जानकारी के लिए सहयोगः

- कृषि विभाग, बिहार सरकार
- पंचायतीराज विभाग, बिहार सरकार
- डॉ. प्रधान पार्थ सारथी, पर्यावरण विज्ञान केंद्र, स्कूल ऑफ अर्थ, जैविक और पर्यावरण सम्बन्धी विज्ञान, बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
- महिला समाख्या बिहार
- गोरखपुर एन्वायरमेंन्टल एक्शन ग्रुप (G.E.A.G)

हिन्दी अनुवाद : अषोक राज एवं धीरेन्द्र कुमार

टाइपिंग : धीरेन्द्र कुमार

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करेंः

सी.जी.आई.ए.आर. – जलवायु परिवर्तन, कृशि एवं खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम (सी.सी.ए.एफ.एस.)
प्रमोद कुमार अग्रवाल, रीजनल प्रोग्राम लीडर, दक्षिणी एँिया, सी.सी.ए.एफ.एस.
एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लेक्स, सी.जी. ब्लॉक, देव प्रकाँ शास्त्री मार्ग, पूसा
नई दिल्ली 110012, भारत

बेबसाईटः http://ccafs.cgiar.org/

ई–मेलः p.k.aggarwal@cgiar.org

अल्टरनेटिव फ्यूचर्स
बी–177, ईस्ट ऑफ कैलाष, नई दिल्ली, भारत

बेबसाईटः www.alternativefutures.org.in

ई–मेलः afmailbox@gmail.com

महिला समाख्या बिहार
खादी और व्यापारिक बोर्ड महेष भवन, पूर्वी गॉन्धी मैदान
पटना 800004, बिहार, भारत

ई–मेलः msbihar@hotmail.com

अक्टूबर 2012

जेंडर, जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा

यह संक्षिप्त मैनुअल जेंडर, जलवायु परिवर्तन, कृशि और खाद्य सुरक्षा पर ग्रामीण महिला–नेताओं, विशेषरूप से स्थानीय स्वशासन इकाईयों के लिये निर्वाचित नेताओं की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया है।

अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेने के पश्चात ये महिला–नेता अपने इलाके की अन्य महिलाओं को परिवार की खाद्य सुरक्षा कायम रखने पर ट्रेनिंग दे सकती हैं। इस ट्रेनिंग मैनुअल से ये महिलायें यह जानेंगी कि मौसम क्यों बदल रहा है और इससे कृशि और खाद्य सुरक्षा को क्या खतरा है। यह भी जानेगीं कि कैसे महिलायें और पुरुष इनका सामना करने के लिये बराबर का योगदान दे सकते हैं।

यह संक्षिप्त मैनुअल एक विस्तृत दक्षिणी एशिया मैनुअल का हिस्सा है। यह भारत के गंगा नदी के विशाल मैदानी क्षेत्र (जिसमें मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं) की जरूरतों को देखकर तैयार किया गया है। इस तरह के संक्षिप्त मैनुअल नेपाल और बंगलादेश के लिये भी तैयार किये गये हैं।

जलवायु परिवर्तन पर अन्तरदेशीय पैनल, इंटर–गवर्मेंटल पेनल ऑन क्लाईमेट चेन्ज, के अनुसार दक्षिणी एशिया और इसका गंगा वाला मैदानी इलाका जलवायु परिवर्तन से प्रभावों को देखते हुये दुनियॉ का सबसे कमजोर और खतरे से भरा क्षेत्र है। यह विश्व के उन क्षेत्रों में से है जहॉ विभिन्न आपदाओं की आशंका सबसे अधिक है। ये आपदायें बाढ, सूखे, चक्रवात या भूस्खलन का रूप ले सकती हैं। यह आशंका जतायी जा रही है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में भारी खाद्य व जल की कमी होने लगेगी।

दक्षिण एशिया के मैदानी इलाके की (जिसमें पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी शामिल है) जनसंख्या बहुत बड़ी है। एतिहासिक रूप से इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ रही है, जलवायु अनुकूल रहा है तथा प्रचुर मात्रा में सतही जल और भूजल रहा है। इसलिये यह क्षेत्र लाखों लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता रहा है। इसके बावजूद आज दक्षिण एशिया में संसार के आधे से ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। साथ ही साथ जेंडर अर्थात पुरुशों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता में यह क्षेत्र संसार में दूसरे नम्बर पर है। पहले स्थान पर उप–सहारा अफ्रीका है।

दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में समाज में फैला जेंडर पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। इस क्षेत्र की ज्यादातर श्रमिक महिलायें कृशि और इससे संबंधित आजीबिकाओं पर निर्भर करती हैं। दक्षिण एशिया के सारे कृशि श्रमिकों में 70 प्रतिशत महिलायें हैं। फिर भी, भूमि, पषुधन, शिक्षा, ऋण–सेवा, खाद व कृशि सम्बन्धी उपकरणों तक उनकी पहुॅच पुरुषों से कहीं कम है। यदि यह पहुॅच बढाई जाती है तो ये महिला किसान बहनें जलवायु–परिवर्तन के सन्दर्भ में अपनी खेतीबाड़ी बचा सकती हैं और साथ ही साथ अपने परिवार के लिए आने वाले समय में सम्पूर्ण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। अभी हाल के कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कई जगहों पर महिला किसानों के लिये जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन से संबंधित कार्यों से उनका कार्य–भार बढ गया है। उनका समय भी इन कार्यों में अधिक लग रहा है किन्तु फायदा नही मिल रहा है। यह इसलिये है क्योंकि उनके पास न तो अच्छी जानकारी है और न ही जरूरी संसाधनों तक उनकी कोई पहुॅच है।

ट्रेनरों को ट्रेनिंग देने को तैयार किये गये इस मैनुअल का उद्‌देश्य है – जलवायु परिवर्तन से उभर रहे खतरों का सामना करने के लिये ग्रामीण महिला–नेताओं की समझ, कौशल व क्षमतायें बढा कर उन्हें पूर्ण रूप से सशक्त करना। साथ ही साथ, सरकारी संस्थानों तक उनकी पहुॅच बढाना ताकि वह अपने कृशि सम्बन्धी गतिविधियों को बदलती जलवायु के माहौल को अनुकूल बना सके। उत्तरी व पूर्वी भारत की लाखों ग्रामीण महिलाओं और उनके परिवारों को पूरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राश्ट्रीय कृशि अनुसंधान, अल्टरनेटिव फ्यूचर्स और बिहार महिला समाख्या ने मिलकर यह महत्वपूर्ण पहल की है।

जेंडर, जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण; ट्रेनिंग प्रोग्राम, पटना, बिहार

सामूहिक प्रायोजक

सी.जी.आई.ए.आर.-जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम (सी.सी.ए.एफ.एस.),

अल्टरनेटिव फ्युचर्स और बिहार महिला समाख्या

प्रशिक्षण कार्यसूची; एजेंडा

5 - 6 **अक्टूबर** 2012

दिवस–1			
सत्र	सत्र का समय	सत्र वर्णन	फैसिलिटेटर
1	9 से 10.15 सुबह	प्रतिभागियों का स्वागत संगठनों और प्रशिक्षण के उद्देश्यों का परिचय प्रतिभागियों का परिचय और उनकी इस कार्यक्रम से आकांक्षाएं	महिला समाख्या महिला समाख्या, अल्टरनेटिव फ्यूचर्स, सी.सी.ए.एफ.एस. महिला समाख्या, अल्टरनेटिव फ्यूचर्स
2	सुबह 10.15 से 12.30 दोपहर	मुद्दों को समझनाः क– जलवायु परिवर्तन का विज्ञान और कृषि व खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रभाव ख– क्या है 'जेंडर'? ग– जेंडर का जलवायु परिवर्तन–सम्बन्धी कृषि, खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव	 अल्टरनेटिव फ्यूचर्स महिला समाख्या अल्टरनेटिव फ्यूचर्स, महिला समाख्या
सुबह 11.15–11.30 बजे चाय का समय			
3	दोपहर 12.30 से 1.30	बिहार में जलवायु परिवर्तन और कृषि जेंडर आयामों पर चर्चा	डॉ. प्रधान पार्थ सारथी, एसोसिएट प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान केंद्र, बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना महिला समाख्या, अल्टरनेटिव फ्यूचर्स
दोपहर का भोजन			
4	दोपहर 2.30 से 3.45 सायं	बिहार की जलवायु परिवर्तन और कृषि क्षेत्र मे महिला किसानों की खाद्य सुरक्षा को मुख्य धारा में लाना जलवायु परिवर्तन के जेंडर आयामों पर चर्चा	श्री ए0 सी0 जैन, उप निदेशक (सूचना), कृषि विभाग, बिहार, पटना श्री आर0 एन0 सिंह, बामेती (कृषि विस्तार कार्य)
5	3.45 से 4.30 सायं	बाढ़–प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही 'अनुकूलन कृषि' से सीखना 'अनुकूलन कृषि' और सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं की भूमिका पर रिपोर्ट	गोरखपुर पर्यावरण कार्य समूह (जी.ई.ए.जी.), गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
चाय का समय			
6	4.45 से 6.00 सायं	ग्राम विकास की योजनायें, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन बनाने और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाने में पंचायत महिला नेताओं की भूमिका	सुश्री0 सीमा सिंह, प्रशिक्षण विंग, पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना

दिवस–1 जारी			
सत्र	सत्र का समय	सत्र वर्णन	फैसिलिटेटर
7	7.00 से 7.45 सायं	महिला और जलवायु परिवर्तन पर फिल्में	गोरखपुर एन्वायरमेंन्टल एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.), गोरखपुर, उत्तर प्रदेश; अल्टरनेटिव फ्यूचर्स
	8 सायं	रात का भोजन	
दिवस–2			
सत्र	सत्र का समय	सत्र वर्णन	फैसिलिटेटर
1	9.00 से 9.30 सुबह	दिवस–1 का संक्षिप्त ब्योरा	महिला समाख्या
2	9.30 से 10.30 सुबह	समूह पंचायती राज महिला नेताओं के लिए कार्य योजना पर ग्रुप कार्य जारी रखना	अल्टरनेटिव फ्यूचर्स, महिला समाख्या
3	10.30 से 11.30 सुबह	कार्य–योजना की प्रस्तुति और विचार विमर्श	अल्टरनेटिव फ्यूचर्स, महिला समाख्या
		चाय का समय	
4	11.45 से 1.00 दोपहर	जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए चर्चा	महिला समाख्या, अल्टरनेटिव फ्यूचर्स
5	1.00 से 2.00 दोपहर	प्रतिक्रियाएं और कार्यक्रम समाप्ति	महिला समाख्या, अल्टरनेटिव फ्यूचर्स
6	2.00 दोपहर	दोपहर का भोजन	

प्रशिक्षण सत्र (ट्रेनिंग सेशन्स)

कार्यविधि, विवरण और जानकारी

सत्र 1

स्वागत, प्रतिभागियों का परिचय और उनकी इस कार्यक्रम से आकांक्षाए/ट्रेनिंग के उद्देष्य	समयः 1 घंटा 15 मिनट

कार्यविधि

(अ) प्रतिभागियों का स्वागत
मेजबान संगठन द्वारा स्वागत

(ब) परिचय

1. फैसिलिटेटर फ्लैश कार्ड/पावर–प्वाइंट स्लाईडों व चर्चा द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्यों का परिचय देते हैं।
2. फैसिलिटेटर तीन मेजबान संगठनों का परिचय स्वयं देते हैं या संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित करते हैं।
3. फैसिलिटेटर सभी प्रतिभागियों को जोड़े बनाकर एक दूसरे को परिचय देने को कहते हैं और साथ–ही–साथ उन्हें प्रशिक्षण से अपने साथी की अपेक्षाओं की सूची तैयार करने को कहते हैं।

विवरण और जानकारी

(ब) ट्रेनिंग के उद्देश्य	
ट्रेनिंग के दो प्रयोजन	अतिरिक्त सूचना प्रतिभागियों से सवाल पूछकर ट्रेनिंग के उद्देष्य को उजागर किया जा सकता है। यदि समय हो तो कुछ प्रतिभागी अपने विचारों को संक्षेप में बता सकते हैं।
1. जलवायु व मौसम में हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी होना और यह जानना कि कैसे ये बदलाव किसान भाइयों और बहनों पर अलग–अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं।	प्रश्नः ■ क्या आपको लगता है कि मौसम – गर्मी, मानसून, सर्दी – पिछले 1–2 दशकों में किसी भी तरह से बदला है? ■ क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं जिससे यह पता चलता हो कि इन परिवर्तनों से आपका जीवन और आजीविका पर क्या प्रभाव हुआ है?
2. निर्वाचित महिला–नेताओं से यह जानना कि वे पुरुष और महिला किसानों का इन परिवर्तनों से कैसे तालमेल बिठा सकते हैं और इस तरह उनके लिए कृषि उत्पादन में सुधार और बेहतर घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।	■ क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं जहां आपने अपने खेती, बागवानी व पशुपालन से संबन्धित मौसमी बदलाव के लिए कुछ किया हो? ■ क्या पंचायतें लोगों की जलवायु परिवर्तन से तालमेल बिठाने में मदद कर सकती हैं? क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं?

मेजबान संगठन	संगठन के बारे में जानकारी
अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान (सी.जी.आई.ए.आर.)	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान (सी.जी.आई.ए.आर.) का सलाहकार ग्रुप एक विश्व–स्तरीय अनुसंधान पहल है जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के 15 अनुसंधान केन्द्रों के साथ कार्य कर रहा है। सी.जी.आई.ए.आर. का उद्देश्य है ग्रामीण गरीबी कम करना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार और वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना। सी.जी.आई.ए.आर. सैकड़ों साथी संगठनों के साथ निकट सहयोग में काम करता है। सी.जी.आई.ए.आर. जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (सी.सी.ए.एफ.एस.) एक 10–वर्षीय पहल है जो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान भागीदारी के साथ मिलकर सुरक्षित खाद्य भविष्य के लिये काम करती है। सी.जी.आई.ए.आर.–सी.सी.ए.एफ.एस. कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर कृषि और खाद्य सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे को दूर करने में कार्यरत है। यह कार्यक्रम कमजोर ग्रामीण लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। सी.जी.आई.ए.आर.–सी.सी.ए.एफ.एस. का मानना है कि पुरुष और महिलायें अलग–अलग तरीकों से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। उनकी इन प्रभावों से अनुकूलन में अलग–अलग प्रतिक्रिया होती है और वे जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। पुरुषों और महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच भी अलग है। इसलिए यह जरुरी है कि सारे मुद्दे महिलाओं के नजरिये से भी समझे जाये ताकि वे पुरुषों के साथ मिलकर आर्थिक और समाजिक परिवर्तन में योगदान देने में सक्षम हो।
अल्टरनेटिव फ्यूचर्स	अल्टरनेटिव फ्यूचर्स विकास–संबन्धी षोध और संप्रेशण समूह है, जो टिकाऊ विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्यरत है। यह समूह रचनात्मक और सार्थक नीति एवं सामाजिक और तकनीकी विकल्पों पर षोध करके उनको बढावा देता है। हम नये विचारों, सामाजिक परियोजनाओं एवं उपायों को भी प्रोत्साहित करते हैं। हम पारिस्थितिक स्थिरता (ईकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी), सामाजिक न्याय, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक बहुलवाद के सिद्धांतों पर आधारित समाज की कल्पना से प्रेरित हैं। हम परिवर्तनषील लोगों को आपस में जोङकर एक ऐसे वैकल्पिक भविष्य को बनाना चाहते हैं जो मानवीय, न्यायसंगत और टिकाऊ हो। अल्टरनेटिव फ्यूचर्स की निम्नलिखित गतिविधियों हैः • नीतियों एवं विभिन्न मुद्दों पर षोध और पैरवी; कार्यक्षेत्र (फील्ड) षोध और सर्वेक्षण; इन षोधों के आधार पर दस्तावेज, मैनुअल एवं रिर्पोटें तैयार करना। • विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए पहलों, कार्यक्रमों और नये विचारों एवं उपायों पर षोध। वेबसाइट www.iforchange.org तथा अन्य चैनलों के माध्यम से इनके बारे में प्रचार एवं प्रसार। • परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी (मॉनिटरिंग) और मूल्यांकन। • नए और पुराने मीडिया के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार। विभिन्न मुद्दों पर जानकारी, शिक्षा और प्रसार के लिए सामग्री तैयार करना। • अभिनव सामाजिक एवं स्वैच्छिक प्रयासों का समर्थन और इनमें क्षमता–निर्माण। अधिक जानकारी के लिए www.alternativefutures.org.in पर जाएँ।
महिला समाख्या	बिहार महिला समाख्या (एम.एस.) कार्यक्रम का उद्वेश्य है, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा को प्रन्नोत करना। इस सस्था की गतिविधियां महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के उपयोग पर केंद्रित है, एम.एस. के लिए 'शिक्षा' केवल बुनियादी साक्षरता नहीं है, बल्कि आसपास की चीज़ो और घटनाओं को समझना, बुनियादी सवाल उठाना और मुद्दों और समस्याओं का विश्लेषण करना और समाधान ढूँढ निकालना है। शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से एम.एस. महिलाओं के लिए एक ऐसा माहौल बनाने के लिये प्रयास करती है जिसमें वे नए ज्ञान और कौशल पा सकें, अपनी हिसाब से सीख सकें और अपने लिए सुनिहित विकल्प बनाकर तैयार कर सकें। इसमें शामिल है महिला सशक्तिकरण पर काम जिसमें प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का उनके स्वास्थ्य और आजीविका को प्राप्त होने वाले लाभ बताये जाते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) पर प्रशिक्षण, एक ऐसी ही पहल है। महिला समाख्या ने बिहार में 1992 से महिलाओं को शिक्षित करने का काम शुरू किया, जो केंद्र सरकार के कार्यक्रम का एक हिस्सा था। अब यह 14 जिलों मे काम कर रही है। संस्था महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाना इसका मुख्य कार्य क्षेत्र है। बिहार में पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद, संस्था महिलाओं को स्थानीय चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

प्रतिभागियों के परिचय

- सभी प्रतिभागियों एक चक्र में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हो जायेंगें।
- अब वे हाथ छोङ देंगें और दो समानांतर लाइनों में खड़े हो जायेंगें।
- प्रत्येक व्यक्ति और उसके सामने खड़ा व्यक्ति भागीदार बन जायेंगें।
- भागीदार एक दूसरे का परिचय देंगें और इस प्रशिक्षण से एक दूसरे की अपेक्षाओं के बारे में पूछेंगे।
- 5–7 मिनट के बाद, वे फिर से चक्र में खड़े हो जायेंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपने साथी का परिचय देगा और साथ ही साथ इस ट्रेनिंग कार्यक्रम से उसकी अपेक्षाओं को बतायेगा।

सत्र 2

मुद्दों को समझना (समयः 2 घंटे 15 मिनट)

कार्यप्रणाली

(अ) जलवायु परिवर्तन का विज्ञान और कृषि खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रभाव (समयः 35 मिनट)

- जलवायु परिवर्तन का विज्ञानः फेसिलिटेटर द्वारा विवरण। (15 मिनट)
- कृषि और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव।
  - एक फ्लिप चार्ट पर प्रतिभागी अपनी प्रतिक्रियाएं लिखेंगे। (10 मिनट)
  - प्रतिभागी फ्लिप चार्ट को पढेंगे। उसके पश्चात 5–7 फ्लैश कार्डो/कम्प्यूटर स्लाइडों पर जलवायु परिवर्तन के कारण–प्रभाव विषय पर प्रस्तुति की जायेगी। (10 मिनट)

(ख) क्या है 'जेंडर' का मुद्दा? (उप–योगः 15 मिनट)
पुरूषों और महिलाओं के शारीरिक व सामाजिक पहलुओं पर समूह चर्चा।

(ग) जेंडर मुद्दा और जलवायु परिवर्तन/कृषि खाद्य सुरक्षा (उप–योगः 1 धंटा 25 मिनट)

- पुरूषों और महिलाओ के कृषि–सम्बन्धी कार्यो की सूची बनवाना तथा इसके आधार पर कृषि क्षेत्र में फैले जेंडर पर समूहिक चर्चा (25 मिनट)
- जेंडर, जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा के परस्पर प्रभावों पर समूह कार्य (30 मिनट)
  - फैसिलिटेटर 5 लोगो के समूह बनायेंगे।
  - प्रत्येक समूह दो उदाहरणों के आधार पर चर्चा करेंगे
    - ❐ जलवायु/मौसम परिवर्तन
    - ❐ कृषि संबंधी महिलाओं के रोज़गार

1. प्रत्येक समूह एक फ्लिप चार्ट पर (क) कृषि कार्यो पर और (ख) खाद्य सुरक्षा पर मौसम परिवर्तन के प्रभावों को लिखेंगे, यह समूह–चर्चा के बाद किया जायेगा ताकि हर किसी का विचार फ्लिप चार्ट पर नोट किया जा सके। (30 (15ग2)मिनट)
2. प्रत्येक समूह हाल में अपने चार्ट लगा देंगे। (5 मिनट)
3. फ्लिप चार्ट के आधार परः जलवायु परिवर्तन कैसे कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं को प्रभावित करता है पर सामूहिक चर्चा (30 मिनट)
4. निष्कर्ष और मुख्य बिन्दु पर प्रकाश डालनाः
   - क्या जेंडर का मुद्दा जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है?
   - क्या महिलाओं के पास संसाधन हैं और जलवायु परिवर्तन–सम्बन्धी समाधान देने की क्षमता है?
   - क्या वर्ग, जाति, धर्म या आजीविका जैसे मुद्दे जेंडर, जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा के आपसी रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं?
   - पंचायत में निर्वाचित महिला नेताओं की क्या भूमिका हो सकती है?
   - वे कौन–सी 2–3 सरकारी योजानाएं है जिन्हें निर्वाचित महिला नेता खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में और कृषि–संबंधी आजीविका के साथ तालमेल बिठाने में उपयोग कर सकती हैं?

विवरण और जानकारी

(अ) जलवायु परिवर्तन का विज्ञान और खेती–बाड़ी और खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रभाव

जलवायु परिवर्तन का विज्ञान
हालांकि कुदरत अपने हिसाब से जलवायु बदलती ही रहती पर इसांन की गतिविधियां उसमें एक अप्राकृतिक बदलाव लाती हैं।

जलवायु क्या है?
मौसम के सैकड़ो सालों के प्रारूप को जलवायु कहते है। मौसम तो रोज़ बदलता रहता है पर किसी भी इलाकें की जलवायु तो सदियों तक वैसी ही रहती है। जैसे बिहार को ही लें। यहां हम जानते हैं कि चार महीने गर्मी, तीन महीने सर्दी, तीन महीने वर्षा और हर वर्ष वसन्त और पतझड़ भी आती है। लेकिन यदि केरल को लें, तो हम पाते है कि यहां जलवायु हमेशा गर्म रहती है और कभी सर्दी नहीं पड्ती।

हमारी पृथ्वी की जलवायु हमेशा से बदलती रही है। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि करोड़ो वर्षो तक पृथ्वी बर्फ से पूरी तरह से ढकी रही थी। इसे बर्फ या हिम–युग कहा जाता है। जैसे–जैसे सूरज की गर्मी से धरती गर्म होने लगी तो बर्फ बहने लगी। इससे यह हुआ कि पृथ्वी का वातावरण सहने लायक हो गया और धीरे–धीरे जीवन के कण यहां पनपने लगे। इसी तरह से यह कहा जा सकता है कि हज़ारो सालों में जलवायु–बदलाव प्रकृति की अपनी कार्य–प्रणाली का ही हिस्सा है।

लेकिन हमारे आज के समय में जलवायु बदलाव तेज़ी से हो रहा है; यहां तक कि दस या बीस सालों के अन्तराल पर। अब प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण है–पृथ्वी की बढ़ती गरमी जिसे विज्ञान में 'ग्लोबल वॉरमिंग' कहते हैं। इससे यह हो रहा है कि हम मनुष्यों की विविध गतिविधियों से पृथ्वी का अपना सतही तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है और जब यह तापमान बदलता है तो पृथ्वी की जलवायु भी बदलने लगती है।

सूर्य, पृथ्वी और वायुमण्डली गैसों की कहानी

सूर्य की किरणें सीधे धरती पर आती हैं। उनसे गर्मी पैदा होती है। पृथ्वी चारो तरफ तह–ब–तह कई गैसों से घिरी है जो इस गर्मी को वायुमण्डल से बाहर नहीं जाने देती। इनमें मुख्य तहें हैं – कार्बनडाईऑक्साईड, मिथेन गैस और जल–भाप। इन गैसों को ग्रीनहाउस गैसें (जी.एच.जी.) इस तरह से धरती का तापमान काबू में रहता है – न ज्यादा ठण्डा और न ज्यादा गर्म। इसके फलस्वरूप धरती के वातावरण में तरह–तरह के प्राणी आराम से रह सकते हैं और मनुष्य भोजन के लिये खेती–बाड़ी कर सकता है।

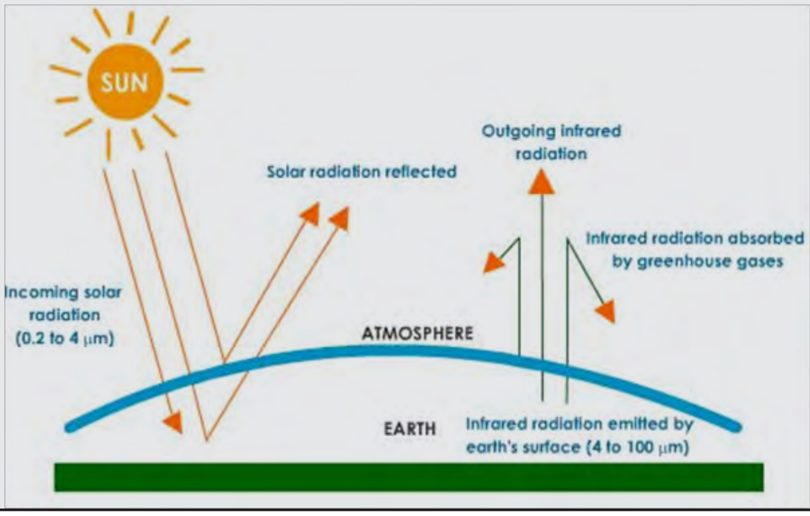

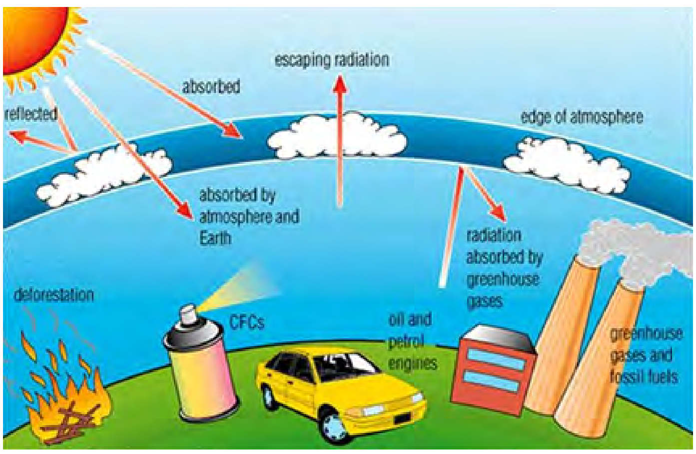

1906 से लेकर 2005 – इन सौ वर्षो में, पृथ्वी का तापमान औसतन 0.74 डिग्री बढ़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों का एक तय मात्रा पृथ्वी के लिये अच्छी है लेकिन यदि यह मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो जलवायु बदलाव का कारण बन जाती है। तपमान में वृद्धि के कारण समुद्र के स्तर में बढोत्तरी हो रही है जो कि तटीय क्षेत्रों के लिए खतरे का कारण है।

इस आंखें फाड़े खड़ी गंभीर समस्या से निपटने के लिये दुनिया भर के देश अब खनिज–ईंधन की जगह वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने में लगे हैं। इनमें शामिल है–सूर्य से पाई जाने वाली सौर ऊर्जा, तेज़ हवाओं से ली गई ऊर्जा (जिसे विंड या पवनचक्की ऊर्जा कहते है) और समुद्र में उठने वाले ज्वार–भाटों से खींच ली गई ऊर्जा। भारत और कई अन्य देश जैविक या बायोमास ऊर्जा को भी अपनाने लगे हैं। यह ऊर्जा जानवरों, पेड़–पौधों व पेड़ों से पैदा कूड़े को जला कर प्राप्त की जाती है। हमारे देश में बड़े पैमाने पर इस्तमाल होने वाला बायोगैस स्टोव जलवायु–बचाव ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

गैसें कैसे पृथ्वी के वायुमण्डल में बढ़ती है?

दुनियां के पश्चिमी देशों ने जबरदस्त विकास किया है। उन्होनें बड़ी तेज़ी से अपना औधोगिकीकरण किया यानि विभिन्न क्षेत्रों में एक के बाद एक फैक्टरियां लगाई। साथ ही साथ इन देशों ने यातायात और बिजली उत्पादन को तेज़ी से बढाया। इस विकास नीति हेतु खनिज–ईंधन का यानि कोयला, पेट्रोल और ईंधन–गैस का तेज़ी से इस्तमाल होने लगा। ये सारे पदार्थ धरती के भीतर से प्राप्त किये जाते हैं। कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिये भी रसायनों से प्राप्त खाद व कीटनाशक दवाओं का उपयोग होने लगा। ये पदार्थ भी ग्रीनहाउस गैसों की बहुत बड़ी मात्रा पैदा करते हैं।

इस तरह के विकास की शुरूआत उस औधोगिक क्रान्ति से हुई जो करीब 150 साल पहले इग्लैण्ड़ में शुरू हुई थी। तब से न जाने कितना ईंधन जलाया जा चुका है और न जाने किस मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी के वायुमण्डल में छोडी जा चुकी हैं। इन गैसों ने पृथ्वी पर पहुॅचने वाली सूरज की गर्मी को अपनी तहों में कैद कर लिया है। यह पूरी पृथ्वी को एक मोटी चादर से ओढाने के बराबर है जिसके अन्दर कैद कर ली गई गर्मी बाहर नहीं जा सकती। इसे ही ग्लोबल वॉरमिंग कहते हैं।

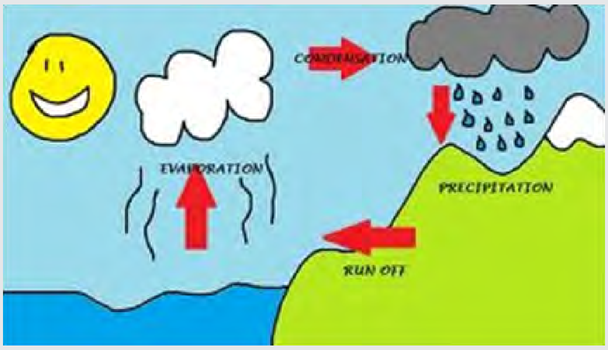

जलवायु परिवर्तन के पीछे पानी की कहानी

प्रकृति का एक सरल नियम है– हल्की गर्म हवा ऊपर उठती है और भारी ठंडी हवा नीचे जाती है। जब सूरज की गर्मी पृथ्वी पर पहुॅचती है तो भूमि समुद्र और महासागरों की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है। भूमि से गर्म हवायें उठने लगती हैं और समुद्र के ऊपर की वायु, जो अभी भी ठण्डी होती है, भूमि की तरफ चलने लगती है। इन्हें 'समुद्री हवायें' कहते हैं।

रात में भूमि समुद्र की तुलना में ठण्डी होती है। समुद्र तेज़ी से अपनी गर्म हवायें छोड देता है। इस कारण भूमि से सर्द हवाएं समुद्र की ओर बहने लगती है। इन्हें 'सतही हवायें' कहा जाता है।

सत्र 3

जलवायु परिवर्तन और बिहार में बदलती कृषि

इसके साथ ही, एक और चक्र चलता रहता है। गरम हवा जल वाष्प के रूप में ऊपर उठती है। जब जल वाष्प ऊपर जाती है तो ठण्ड़ी होने लगती है और बादल का रूप ले लेती है। जब बादलों में बहुत ज्यादा जल वाष्प जमा हो जाता है तो जल वाष्प बारिश के रूप में नीचे आने लगती है।

जब पृथ्वी के तापमान बदलते हैं, वे समुद्री हवायें और सतीय हवाओं को प्रभावित करती हैं जिससे पृथ्वी की जलवायु प्रभावित होती हैं।

1. वैश्विक जलवायु परिवर्तन स्थानीय लोगों और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है।

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है, लेकिन इसके प्रमाण स्थानीय हैं।

विभिन्न देशों के उर्त्सजन से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। यह बदलाव समुद्री हवाओं और भूमि हवाओं में भारी परिवर्तन ला रहा है। इससे पूरे विश्व में गम्भीर मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं या होने जा रहे हैं।

इन परिवर्तनों को स्थानीय लोग महसूस कर रहे हैं और ये इन स्थानीय लोगों के जीवनयापन और रोजगारों को प्रभावित कर रहे हैं।

विशेष रूप से, जो लोग अपनी सामाजिक व आर्थिक और राजनैतिक स्थिति से कमजोर हैं और जो परिस्थिति से जूझने के लिए स्वयं को असमर्थ पाते हैं इनमें मुख्यतः छोटे किसान – पुरुष व महिला हैं।

2. जलवायु परिवर्तन के लिए दोहरे समाधान की आवश्यकता हैः

- शमन – ग्रीनहाउस गैसो को कम करना
- अनुकूलन – जलवायू परिवर्तन के प्रभावों से तालमेल बिठाना।

दोंनों शमन और अनुकूलन आवश्यक है।

शमन ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य के लिए अनुकूलन की सीमाएं है।

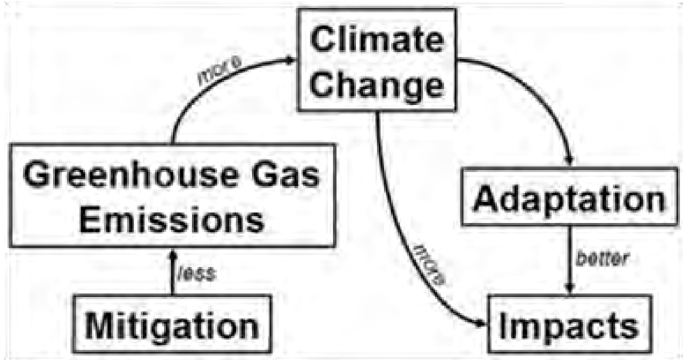

Source: http://e-education.psu.edu

3. जलवायु परिवर्तन की राजनीति

- जलवायु परिवर्तन की राजनीति इस घोर संकट से निपटने के लिए तेजी से कार्यवाई करने से रोक रही है।
- 197 विकसित और विकासशील देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के तहत जलवायु के लिए एकजुट हो गए हैं। इन देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनवेंशन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) पर हस्ताक्षर किए हैं और नियमित रूप से विचार विमर्श कर रहे हैं। लक्ष्य है सर्वसम्मति से एक समझौता तैयार करना जो गैसों के उत्सर्जन को कम करने में और विकासशील देशों को अपनी नीतियों व गतिविधियों जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करें।
- विकसित देशों गैसों का उत्सर्जन कम करके अपने लोगों की जीवन शैली को नहीं बदलना चाहते हैं। विकासशील देश इन देशों पर दबाव डालने में असमर्थ हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से इन पर निर्भर हैं। विकासशील देश स्वयं भी विकास के अलग–अलग स्तर पर हैं जिस कारण वे एक आम सहमति नहीं बना पाते। उदहरण के लिए चीन; जहॉ अभी भी अनगिनत गरीब लोगों का घर है, और समृद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका – दोनों दुनियां के सबसे बडे ग्रीन हाउस गैस पैदा करने वाले देश हैं। भारत, जहॉ दुनियॉ के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं और जिनकी ऊर्जा तक पहुॅच नहीं है, दुनियां का ग्रीनहाउस गैसों को पैदा करने वाला पॉचवां सबसे बडा देश है।
- जलवायु परिवर्तन की राजनीति दुनिया के नेताओं को कोई ठोस कार्रवाई करने से गैसों के उत्सर्जन और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने से रोक रही है।
- यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन पर ठोस चिन्तन अब देशों के बीच केवल लेन–देन का ढकोसला रह गया। जलवायु वैज्ञानिकों को यह भय है कि यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 3–4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जायेगा जो पृथ्वी पर पनप रहे तरह–तरह के जीव जन्तुओं के लिए भयावह हो जाएगा और साथ ही साथ विश्व भर में कृषि तबाह हो जायेगी जिससे खाद्य असुरक्षा तेजी से बढ़ेगी।
- अब संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक अन्तरदेशीय पैनल बनाया है जिसके तहत संसार के जलवायु वैज्ञानिक जलवायु के बदलते रुझान पर शोध कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस अति गम्भीर संकट से पृथ्वी को और उसके वातावरण को बचाया जा सके।

जलवायु परिवर्तन के कृषि/खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

समूह कार्य :

- प्रतिभागियों को फ्लिप चार्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं लिखने को कहा जायेगाः
  - आप अपने क्षेत्र में कैसे मौसम सम्बन्धी परिवर्तन जैसे तापमान, वर्षा, हवाओं के बहने में बदलाव देख रहे है? क्या बाढ़ और सूखा और अन्य आपदाएं भी बढ़ गई हैं?
  - मौसम सम्बन्धी परिवर्तन आपके खेती के तरीकों और कृषि चक्र पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इसके उदाहरण दें?
  - फ्लिप चार्ट की जानकारी आपस में एक–दूसरे को दिखायें।
- फ्लिप चार्ट और फिर 5–7 फ्लैश कार्ड आपस में एक दूसरे को दिखायें/कारण और प्रभावों पर पावर–पोइंट की प्रस्तुति (जैसे नीचे तालिका में दिखाया गया है।)

जलवायु परिवर्तन और कृषिः कारण और प्रभाव फ्लैष कार्ड/पावरपोइंट प्रस्तुति के लिए उदाहरण		
कारणः मौसमी बदलाव	कृषि पर प्रभाव	घरेलू खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव
बारिश का देर से होना	धान की देर से की गई बुवाई के कारण कृषि चक्र में देरी	उच्च
वर्षा का बदलता रुझान – ज्यादा रुक–रुक कर और अधिक तीव्रता से होना	फसलों के लिए पानी ठीक समय पर नहीं मिलना, असामयिक और तीव्र बारिश द्वारा काटे गये धान का खराब होना	उच्च
गर्मियों में ऊँचा तापमान	दुधारू पशु से कम दूध मिलना, भैंसों/गायों के प्रजनन चक्र का लम्बा होना/अधिक कृषि कीट	उच्च
लम्बी गर्मियां, सर्दियों का देर से शुरू होना और कम समय तक रहना	रबी की खेती में देरी/गर्म हवाओं से फसल का बढ़ना कम होना जिससे इसकी गुणवत्ता और इससे होने वाली आय का कम होना	उच्च
तेज बारिश	अधिक बाढ़ से तटबंधों का टूटना, अधिक पानी के ठहराव से कृषि उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता का कम होना	उच्च

(ख) क्या है 'जेंडर' का मुद्दा ? (उप–योग 15 मिनट)

पुरूषों और महिलाओं के षारीरिक व सामाजिक पहलुओं पर समूह चर्चा। **जेंडर की समझ विकसित करना**

- **जेंडर क्या है ?**
- **खानपान**
- **पहनावा**
- **जेंडर के तहत भेदभाव कहाँ-कहाँ और कैसे ?**
- **रहन सहन**
- शिक्षा
- **स्वास्थ्य इत्यादि।**

(ग) जेंडर मुद्दा और जलवायु परिवर्तन/कृषि खाद्य सुरक्षा

- समूह कार्यः प्रतिभागियों को पुरूषों और महिलाओ के कृषि–सम्बन्धी कार्यो की सूची बनाने को कहा जायेगा और चर्चा की जायेगी। चर्चा के लिए कुछ बिन्दू
  - **जमीन पुरूषों के नाम पर।**
  - **आय पर स्वामि व।**
  - **फसल-बोने, काटने, झारने का, सुखाने का, सँभालने का काम महिलाओं द्वारा।**
  - **बुआई का dk;l।**
  - **पशु का चारा, पानी, सफाई से सम्बन्धित कार्य।**
  - **नगदी फसल में जैसे - सब्जी आदि में महिलाओं पर रोक।**
  - **खेत की देख रेख।**
  - **खरीद बिकी का निर्णय।**
  - **खेत की निगरानी।**
  - **बीज छाटने का कार्य।**
  - **हल चलाने, कुदाल चलाने सम्बन्धी काम।**
  - **बीज महिलायें नहीं छू सकती। (मासिक धर्म के समय)**
  - आदि – यहॉ चर्चा के आधार पर अन्य उदाहरण जोडें।
- समूह कार्यः जेंडर, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा को जोड्ना।

ऊपर की चर्चा के आधार पर समूह एक फ्लिप चार्ट पर मौसम के बदलाव के कृषि कार्य और परिवार की खाद्य सुरक्षा पर हो रहे प्रभावों के 3–5 उदाहरण खाली जगह में लिखेंगे।

जलवायु परिवर्तन का सूचक	कृषि कार्य पर प्रभाव		खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव	
वर्षा, तापमान, हवा, आपदा	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
उदाहरणः उच्च तापमान	उदाहरणः कम दूध उत्पादन और पशुओं के लिए चारा पानी लाने में ज्यादा मेहनत	उदाहरणः कम कृषि कार्य जिसके चलते साल के कई महीने शहर जा कर मजदूरी करना	उदाहरणः गंभीर खाद्य असुरक्षा	उदाहरणः मध्यम खाद्य असुरक्षा

यह कार्य समूह–चर्चा के बाद किया जाना चाहिए ताकि फ्लिप चार्ट पर लिखा जा सके। नीचे दी गई तालिका में दिए गए उदाहरण समूहों को उस समय दिखाए जा सकते हैं जब उन्होंने अपने फ्लिप कार्ड दूसरों को दिखा दिए हैं और फ्लिप चार्ट पर पूर्ण चर्चा अभी शुरू न हुई हो।

जेंडर, जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा के बीच सम्बन्ध

कृषि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	जेंडर भेदभाव	महिलाओं पर प्रभाव	पुरुषों पर प्रभाव
कम खाद्य उत्पादन	बच्चों और पति को पहले और अच्छे भोजन को परोसती हैं।	खाने के लिए बहुत ही कम भोजन/खाली पेट सो जाने की मजबूरी/मजदूरी कर के अतिरिक्त काम करने की आवश्यकता – कृषि श्रम में औरतों की तेजी से बढ़ोतरी	उपलब्ध भोजन को प्राथमिकता
अधिक बाढ, जल–जमाव, सूखा (फसलों के लिए पानी ठीक समय पर नहीं मिलना), बारिश मे देरी, कम बायोमास, पीने के पानी की कमी	आपदायें, महिलाओं के जीवित रहने की संभावना को पुरुषों की अपेक्षा कम करती हैं। आपदाओं में मरने वाली औरतों, लड़कियों और जवान लड़कों की संख्या पुरुषों की तुलना में 14 गुना ज्यादा रहती है।	पानी और ईंधन–लकड़ी को लाने की दूरी का बढ़ जाना। मुख्य रूप से महिलाओं की आजीविका – चारा और पशुधन की हानि, सूखा या कम बारिश से जमीन का कठोर हो जाना, काम में परेशानी।	गतिशीलता, समुदायिक निर्णयों के लेने में सहभागिता की योग्यता, विरोध/प्रदर्शनों में भागीदारी की योग्यता, पलायन की परेशानी के लिए वैकल्पिक मजदूरी
गर्मियों में ऊँचा तापमान	सामान्यतः गर्भवती महिलायें ज्यादा गर्मी महसूस करतीं हैं; दूध पिलाने वाली महिलाओं के शरीर में पानी का उपयोग ज्यादा होता है जिससे प्यास ज्यादा लगती है अतः उन्हें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है; पुरुषों की अपेक्षा औरतों के ज्यादातर वह कार्य जिनका कृषि के औजारों/मशीनों से सम्बन्ध नंही है, मजदूरी में परेशानी।	पशुओं द्वारा कम दूध उत्पादन, वसंत के महिनों में भी खेतों में थका देने वाला काम (मार्च, अप्रैल) खेत में सुबह काम करना ताकि दिन में गर्म धूप से बचा जा सके। इस तरह दिन में काम के घंटों का बढ़ जाना	मुख्यतः गर्मियों से पहले होने वाली जुताई के लिए जिम्मेदार होना; खेती में नियमित कार्यों का बहुत कम होना पलायन की परेशानी
प्रजातियों के उत्थान पर प्रभाव	घर में परिवार के लिए पर्याप्त भोजन रखने के लिए औरतों की ज्यादा जिम्मेदारी है – अतः वे, वनों और नदियों में पाये जाने वाले तुरन्त खाने को तैयार जंगली प्रजातियों के भोजन पर विश्वास करती हैं। पुरुष पर्याप्त नगद आमदनी के लिए जिम्मेदार हैं।	औषधीय जड़ी–बूटियों, पशु–चारा का न मिलना	
बहुत भारी वर्षा होना	औरतें, 60–80 प्रतिशत कृषि कार्यों को और अन्य बाहरी कार्यों–जलाने को लकड़ी, पशुओं का चारा और पानी आदि को जुटाने का बोझ उठाती हैं।	अधिक निराई का काम, पानी, ईधन–लकड़ी का मुश्किल से मिलना, अत्यधिक वर्षा/कम वर्षा में महिलाओं के रोजगार के लिए कम अवसर	पुरुषों का शहरों को जाना
समय पर वर्षा न होना	औरत, पुरुषों की अपेक्षा जोखिम उठाने के लिए ज्यादा कमजोर हैं क्योंकि उनके पास पुरुषों की अपेक्षा कम जानकारी, अधिकार और अवसर होते हैं।	बार–बार बुआई, खराब फसल का फटकना, कम उपज के कारण पुरुषों के पलायन से कार्यों के बोझ का बढना, कार्यों का अनिश्चित होना हैं।	
सामाजिक प्रभाव – तेजी से उधार–ब्याज के बोझ का बढना	आर्थिक तंगी में महिलाए ऋण जिम्मेदारियों को लेती हैं और ऋण को भुगतान करने की जिम्मेदारी भी उन पर पड़ती है।		गरीब असहायों का गॉव छोड़कर चले जाना
सामाजिक प्रभाव – पुरुषों का रोजगार की खोज में शहरों को जाना	महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार/एच.आई.वी. एड्स		
सामाजिक प्रभाव – पुरुषों द्वारा घर की औरतों, बच्चों को बार–बार पीटना	घरेलू हिंसा में वृद्धि		

क्या खाद्य सुरक्षा महिलाओं के लिए अधिक है या पुरुषों के लिए?
मुख्य कारणों को लिखें।

Source: http://www.alternativefutures.org.in/userfiles/Engendering%20the%20Cilmate%20for%20Change.pdf

सत्र 3

बिहार में जलवायु परिवर्तन और कृषि

कार्यप्रणाली

- सत्र–2 के आधार पर प्रतिभागी बिहार के लिए तीन मुख्य जलवायु परिवर्तन के मापकों को मीटिंग में पेश करेंगे और उसका बिहार की कृषि पर हो रहे प्रभावों के बारे में बताएंगें।
- डॉ0 प्रधान पार्थ सारथी इस विषय पर एक पावर प्वॉइंट प्रस्तुति देंगे।

विवरण और जानकारी

बिहार और जलवायु परिवर्तन

पी. पार्थ सारथी

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हमारी अनगिनत गतिविधियों पर अलग–अलग तरह से होता है। विभिन्न क्षेत्रों के कृषि जल–संसाध्नों, जन–स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव अलग–अलग ही होता है। यह प्रभाव विश्व या किसी भी देश के खास हिस्से के पुरूष और महिलाओं पर भी अलग–अलग तरीके से होता हैं। यह इसलिए है कि समाज में उनका दर्जा अलग–अलग होता है क्योंकि पुरूष और महिलाओं का शिक्षा स्तर, सामाजिक स्त्रोत एक नहीं होता। जलवायु परिवर्तन से उनके जीवन पर हो रहे प्रभावों के विरूद्ध उनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग–अलग ही होती है।

कृषि देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य तो पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर है। राज्य के 81 प्रतिशत श्रमिक इस क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यही नहीं राज्य को 42 प्रतिशत आमदनी कृषि क्षेत्रों से मिलती है। इस कारण कृषि बिहार की जनता की रोजी–रोटी का मुख्य स्त्रोत है। यह इसलिए कि राज्य का बड़े पैमाने पर अभी तक औद्योगिकरण नहीं हुआ है।

राज्य का कृषि उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता हर साल बाढ़ और सूखे से बुरी तरह से प्रभावित होती रही है। हाल के वर्षों में सूखे और बाढ़ के बार–बार होने का कारण जलवायु परिवर्तन है। सर्दियों के तापमान में हाल में हुए बदलाव भी जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहे हैं और ये बदलाव राज्य के कुल गेहूँ उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन, कृषि, खाद्य सुरक्षा, पुरूषों और महिलाओं पर हो रहे प्रभावों के बीच के रिश्ते को अभी तक बिहार के वैज्ञानिक अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह जेंडर, कृषि, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर विश्वसनीय आंकड़े न मिल पाने के कारण है।

बिहार राज्य देश के पूर्वी भाग में स्थित है, अक्षांश 24–27 डिग्री उत्तर अक्षांश और देशान्तर 82–88 डिग्री पूर्व के बीचं। राज्य का मैदानी क्षेत्र गंगा नदी द्वारा दो हिस्सों में बटा हुआ है जो पश्चिम से पूर्व मध्य में बहती है। गंगा राज्य की मुख्य नदी है जो कई सहायक नदियों से जुड़ी है। सहायक नदियों में मुख्य हैं–गंगा के उत्तर में सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन और महानन्दा। यहाँ कुछ ऐसी नदियाँ भी है जो मैदानी–इलाकों से शुरू होती है और जो गंगा या उसकी सहायक नदियों में उत्तरी क्षेत्रा में जाकर मिल जाती है। इनमें से कुछ नदियाँ है कोयल पुनपुन और करमनाशा। गंगा नदी के उत्तर क्षेत्र में बाढ़ और दक्षिणी क्षेत्रा में सूखा पड़ने की संभावना अधिक होती है। जैसे– मुंगेर, नवादा, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद व गया।

वर्षा व तापमान जलवायु–सम्बन्धी दो मुख्य मापदण्ड हैं जो कृषि, जल–स्त्रोतों, जन–स्वास्थ्य, वनों और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं इसलिए यह जरूरी है कि

बिहार राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य के वर्षा और तापमान के आँकड़े को समझा जाए। वैज्ञानिक अब अति जटिल जलवायु मॉडल तैयार कर रहे हैं जिनकी मदद से वे आने वाले समय के लिए जलवायु सम्बन्धी मापदण्डों के रूझान को समझ सकेंगे। एक मॉडल जिसे प्रिसाईज (PRECIS) नाम से जाना जाता है, का इस्तेमाल केन्द्रीय बिहार विश्वविद्यालय पटना के वैज्ञानिक कर रहे हैं।

वर्ष 1871 से लेकर वर्ष 1990 तक के आँकड़े के आधर पर वैज्ञानिकों ने यह दिखाया है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी व दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्रों का सलाना औसतन तापमान बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध किया है कि 2071–2100 की अवधि में औसतन तापमान 4–5 डिग्री सैलिल्यस बढ़ जाएगा। मई महीने का औसतन तापमान 1–2 डिग्री सैल्सियस बढ़ जाएगा।

बिहार में गंगा नदी के उत्तर के क्षेत्र में गंगा के दक्षिण क्षेत्र की तुलना में अच्छी मानसून वर्षा होती है। इंडियन समर मानसून रेनफॉस (आई.एस.एम.आर.) यानि मानसून वर्षा के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्से में प्राप्त औसत वर्षा 100–120 सेंटीमीटर होती है, जबकि राज्य के पश्चिमी भाग में बारिश 80–100 सेटीमीटर होती है। जो जिले गंगा नदी के दक्षिण में है, उनमें आई.एस.एम. आर. के घटने का रूझान दिखा है। संक्षिप्त मॉडल के आधर पर, बिहार में जून–जुलाई–अगस्त के दौरान कुल 5 सेटीमीटर परिवर्तन देखा गया है। 2011–2040 की अवधि के लिए भावी जलवायु मॉडल बनाए गए है, जो यह दर्शाते है कि बिहार के विभिन्न भागों में औसत से अधिक या कम आई.एस.एम.आर. पाये जायेंगे, विशेष रूप से मध्य बिहार में।

भारतीय मौसम विभाग (आई.एम.डी.) के वर्षों के आँकड़ों के अनुसार यह पाया गया है कि बिहार का पिछले एक दशक (2001–2010) में 5–6 मानसून सूखा वर्षो का सामना करना पड़ा। इसी दशक में केवल दो मॉनसून बाढ़ वर्ष हुए। बिहार के सभी जिले 1991 से आई.एस.एम.आर. के नकारात्मक रूझान दिखा रहे हैं। हाल के वर्षों में बिहार की आई.एस.एम.आर. में कमी आ गई है। वास्तव में भू–जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और गर्मियों के दौरान एक बहुत ही मुश्किल स्थिति पैदा होने लगी है। लोग अब पीने के पानी की कमी, सिंचाई और जानवरों के लिए पानी की कमी से दो–चार हो रहे हैं। ये प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है।

यह आवश्यक हो गया है कि राज्य के सूखे और बाढ़ की आशंका वाले जिलों के पुरूष और महिला किसानों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लगातार भोजन की उपलब्धता जो खाद्य सुरक्षा का सूचक है, लम्बी अवधि के जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी नहीं हो सकेगी। तापमान और वर्षा के सम्बन्ध में बदलती जलवायु के बारे में छोटे किसानों को उचित जानकारी देना अब बहुत जरूरी हो गया है ताकि वे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के खिलाफ उपयुक्त रणनीतियाँ बना सकें। सूखा और बाढ़ के कारण हर साल छोटे किसान बेहतर काम की संभावना के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पुरूष और महिलाएँ अलग–अलग तरीके से जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों से जूझ रहे हैं। पुरूष तो मजदूरी की तलाश में पालयन करना पसन्द करते हैं पर महिलाओं को स्थानीय मजदूरी करना पसन्द है, क्योंकि परिवार की देख–भाल उनकी ही जिम्मेदारी होती है।

सत्र 4

बिहार में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर महिला–किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्रों में उठाए गए कदम

कार्यप्रणाली

- प्रतिभागी सत्र की शुरूआत करने से पहले सरकार की कृषि योजनाओं की सूची तैयार करेंगें। यह सूची फैसिलिटेटर एक फिलप चार्ट पर लिखेंगे।
- वह प्रतिभागियों से पूछेंगे कि सूची में दी गयी योजनाओं में ऐसी कौन–सी योजनायें है जो मौसमी बदलाव के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकती हैं। फैसिलिटेटर यह सूचना एक अलग फिलप चार्ट पर दर्ज करेंगे। मुख्य कारणों को भी लिखेंगे। यह पांच सरक. ारी कृषि कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए किया जा सकता है।
- उपरोक्त यह सारी जानकारी प्रतिभागी अपनी कॉपी में दर्ज करेंगे।
- सरकारी कृषि प्रतिनिधि सभा को संबोध्ति करेंगे।
- जेंडर और खाद्य सुरक्षा पर पूर्ण चर्चा केन्द्रित होगी। फैसिलिटेटर चर्चा के मुख्य बिन्दुओं को फिलप चार्ट पर नोट करेंगे और प्रतिभागी भी ये जानकारी अपनी कॉपियों में दर्ज करेंगे।

विवरण और जानकारी

श्री आर० एन० सिंह, बामेती व, श्री ए० सी० जैन, उप निदेषक
कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुति

पंचायत के नेता, किसानों को बिहार सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के द्वारा कई फायदे पहुॅचाने को आसान बना सकते हैं। उदाहरण के लिए उनमें से एक योजना – एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेनेजमेंट एजेन्सी (ए.टी.एम.ए.) है। इन योजनाओं में से कुछ योजनायें राज्य सरकार द्वारा खरीफ (गर्मी) और रवी (सर्दी) की फसलों को सहायता और प्रोत्साहन के लिए चलायी जा रही योजनाओं में शामिल हैं। महिला किसानों को चाहिए कि वो इन योजनाओं से हाने वाले फायदों की जानकारी हासिल करें और उन फायदों को महिला किसानों को उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करें। सरकार की कई योजनायें, मौसमी बदलाव के बुरे प्रभावों से बचने और बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा को बनायें रखने में सहायता करती हैं। यहॉ पर जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की अग्रिम क्रियाशील भागीदारी को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

खरीफ, 2012 की रणनीति

- सिंचित क्षेत्रों में शत्–प्रतिशत क्षेत्र में अधिक उत्पादनशील एवं संकर प्रभेदों की खेती कराना तथा असिंचित क्षेत्रों में समय पर अनुशंसित प्रभेदों का अच्छादन कराना।
- राज्य के सभी गाँव के दो–दो किसानों को धान फसल का आधार बीज बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से 50% अनुदान पर उपलब्ध कराना।
- उर्वरक खपत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु उर्वरकों के संतुलित व्यवहार 4:2:1 (नेत्रजनःस्फुरःपोटाश) के अनुपात पर बल देना। साथ ही मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए जैव उर्वरक के उपयोग का व्यापक प्रचार–प्रसार करना तथा जैविक फल एवं सब्जियों के उत्पादन की दिशा में कार्रवाई करना।
- हर गाँव से पाँच–पाँच मिट्टी जाँच नमूना संग्रह कर उसे मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में जाँच कराना।
- राज्य के चयनित जिलों के किसानों को 5 H.P. के पम्प सेट पर उसकी कीमत का 50% या अधिकतम 10,000 (दस हजार) रूपये सहायतानुदान देना। साथ ही अनुदानित दर पर स्प्रींकलर सेट वितरित करना।
- प्रत्येक पंचायत में पाँच प्रगतिशील किसानों का चयन कर उनके माध्यम से उत्तम कृषि तकनीक का प्रचार–प्रसार करना।
- किसानों को सभी मानक गुणवत्ता वाले उत्पादन तथा बीज, उर्वरक तथा दवा उपलब्ध कराना।
- किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत् अनुदानित दर पर मानक गुणवत्ता वाले आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एफ०सी०आई० एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा धान की खरीद के लिए किसानों को मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराना।

रबी 2012 की रणनीति

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्य के 25 जिलों को गेहूँ फसल के लिए चयन किया गया है। गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए समय पर बुआई, प्रमाणित बीजों की उपलब्धता, सिंचाई की व्यवस्था, मिट्टी जाँच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरक का व्यवहार, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित खर–पतवार नियंत्रण के प्रबंधन एवं जीरो सीड ड्रील इत्यादि प्रयोग पर जोर दिया जाएगा।
- गेहूँ की श्री विधि :– इस वर्ष राज्य के सभी जिलों में श्री विधि से गेहूँ एवं इसके प्रत्यक्षण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। श्री विधि प्रत्यक्षण हेतु प्रति एकड़ प्रत्यक्षण के लिए 1600 रू० की राशि निर्धारित की गई है।
- जीरो टिलेज से गेहूँ की बुआई एवं खर–पतवारनाशी का प्रत्यक्षण :– इस कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के चयनित 26 जिलों में जीरो टिलेज मशीन से गेहूँ की बुआई की जाएगी। खरपतवारनाशी, मशीन का भाड़ा एवं सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए 1,250 रू० प्रति एकड़ के अनुदान की दर से 70,000 एकड़ में इसका प्रत्यक्षण कराया जाना है।
- मक्काः रबी मौसम में मक्का का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रमाणित बीजों का वितरण, मिट्टी जाँच के आधार पर संतुलित उर्वरक का प्रयोग, समेकित कीट प्रबंधन आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- दलहन उत्पादन कार्यक्रमः रबी एवं गरमा मौसम में दलहनी फसलों के लिए राज्य के 13 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन उत्पादन कार्यक्रम पूर्व से लागू है। राज्य के शेष 25 जिलों में भी दलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुशंसित कीट प्रतिरोधी प्रभेद की बुआई, राइजोवियम कल्चर के साथ बीजोपचार, सिंगल सुपर फॉस्फेट या डी० ए० पी० के उपयोग को बढ़ावा, स्प्रींकलर से सिंचाई, समेकित कीट प्रबंधन, मिनी कीट बीज वितरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- मसूर/मटर एवं तीसी पैरा प्रत्यक्षण :– इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन जिलों में धान फसल के कटने तक खेतों में पर्याप्त नमी रहती है, उस नमी का उपयोग अतिरिक्त नमी लेने के लिए किया जा सकता है। 20 जिलों में मसूर/मटर के पैरा प्रत्यक्षण हेतु 1000 रू० प्रति एकड़ तथा तीसी के पैरा प्रत्यक्षण के लिए 1200 रू० प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा।
- गरमा एवं बोरोधान :– राज्य के 12 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को 3 हजार रू० प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा।

सत्र 5

बाढ–ग्रस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुकूलन कृषि को बढ़ावा देने वाले सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से सीख

कार्यप्रणाली

- गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश से अनुकुलन कृषि नीति को प्रेरित करने वाले किसान द्वारा प्रस्तुति। इस प्रस्तुति में जेंडर का खाद्य सुरक्षा से रिश्ता और अनुकूल कृषि को सुनिश्चित करने में सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
- इस प्रस्तुति के बाद चर्चा शुरू की जाएगी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश इस लिए चुना गया है क्यों कि इसका कृषि–जलवायु का स्वरूप उत्तरी बिहार के समान है।

विवरण और जानकारी

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सब्जियों की नर्सरीः एक लाभदायक व्यवसाय

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में थोड़ी सी भी ऊंची जमीन हो तो नर्सरी उत्पादन के लिए लाभकारी होती है। सामान्यतया बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के गांव/घर ऊंचे स्थान पर बने रहते हैं। यही वह स्थान होता है, जहां लोग और पशु रहते हैं, कुछ खाली जमीन भी होती है, जिसे लोग बाड़ी (साग–सब्जी) के लिए व्यवहार में लाते हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा इसी खाली भूमि पर कम समय में अधिक मूल्य की फसल (नर्सरी) को लगाकर आजीविका के लिए धन कमाना एक अच्छा विकल्प और सोच है। बाढ़ के बाद समय के अनुसार खेती का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। किसान अपने भोजन या बाजार के लिए जल्द तैयार होने वाली फसल लगाना चाहते हैं। ऐसे में बीज, पौध आदि की मांग बढ़ जाती है। प्रत्येक वर्ष होने वाले बाढ़ की इस स्थिति में सब्जियों का नर्सरी उत्पादन एवं विपणन एक ऐसा व्यवसाय है, जिसे मामूली हुनर के साथ सीखा जा सकता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के कुछ किसानों ने बाढ़ के समय में दुख की इस घड़ी को अपने लिए एक सुयोग के रूप में लिया है। सरकारी बागवानी मिशन से जुड़ाव कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के छोटे किसानों को नर्सरी उत्पादन हेतु बढ़ावा दिया जा सकता है।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पड़िया पालन

भैंस का मादा बच्चा पड़िया कहलाता है। भैंस पालन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी गयी है। क्योंकि भैंस एक ऐसा पशु है, जो अन्य पशुओं जैसे – गाय, बैल, बकरी आदि की अपेक्षा अधिक समय तक पानी में अपनी जीवितता बनाये रख सकती है। भैंस पानी में कुछ समय तक तैर कर बाहर भी निकल सकती है। साथ ही इसे बेचने पर अच्छा पैसा भी मिल जाता है। पड़िया जब भैंस बनती है, तो इससे प्राप्त होने वाले दूध को बेच कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। भैंस अथवा पड़िया पालन आजीविका के ऐसे विकल्पों में से है, जिनकी क्षति बाढ़ के दौरान भी अधिक संख्या में नहीं होती है। साथ ही बाढ़ के बाद इनसे इतनी आय हो जाती है जिससे बाढ़ के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।

सामूहिक प्रयास से आजीविका हुई सुदृढ़

गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड कैम्पियरगंज का गांव जंगल अगही एक बाढ़ग्रस्त गांव है। वर्ष 2008 में गांव के लोगों ने पंचायत के माध्यम से किये जाने वाले नरेगा के विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर गांव में अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और मिलकर स्वयं गांव की कार्ययोजना बनायी, जिसमें इन्होंने पंचायत के प्रधान को भी अपने साथ जोड़ा, व पंचायत के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हुए। गांव की दुर्बलता का सबसे बड़ा कारण इसकी कृषि योग्य भूमि का 75 प्रतिषत जल–जमाव की चपेट में था। वर्ष 2009 में 483.5 मजदूरों ने 11 दिनों में लगभग 1.4 किमी0 लम्बे, 10 फीट चौड़े व 7 फीट गहरे नाले का निर्माण कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में 23 मजदूरों ने श्रमदान किया और वित्तीय खर्च रू0 52350.00 के सापेक्ष 250 परिवारों की कृषि से आजीविका सवंर्धित हो गयी साथ में एक बहुत बड़े समुदाय (3000–4000) लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से खेती में काम करने की मजदूरी, जल जनित रोगों से छुटकारा आदि के रूप में लाभ प्राप्त हुआ।

स्वर्ण सब–1 प्रजाति – जलभराव को सहने की क्षमता

'सोने' को शुद्ध हिन्दी में 'स्वर्ण' कहते है। स्वर्ण सब–1 चावल की वह प्रजाति है जिसमें जलभराव को सहने की क्षमता है। यह जन्गाल कुरिया ब्लॉक के 207 किसान परिवारों के लिए भी सोने से कम नहीं है। चावल की इस स्वर्ण प्रजाति को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। इसको किसानों ने, गैर–सरकारी संस्था के साथ मिलकर, चावल पैदा होने वाली पानी में डूबी हुयी 69 है0 भूमि पर बोया है। छोटे और बडे किसान इस फसल को जल भराव वाली भूमि में उगाकर सफलता पूर्वक अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान परिवार जलवायु परिवर्तन के कारण अपने घर से पलायन व एक वैकल्पिक रोजी–राटी की तलाश के लिए मजबूर हो जाते थे उनमें खेती की नयी ऊर्जा का संचार का श्रेय इस स्वर्ण प्रजाति को जाता है। सच में स्वर्ण सब–1 छोटे किसानों के लिए सोना है।

सत्र 6

पंचायत महिला–नेताओं द्वारा गाँव के विकास की योजना बनाने और महिलाओं के कृषि संबंधी आजीविकाओं का जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकुलन बिठानें में और उनकी खाद्य सुरक्षा हेतु सरकारी योजनाओं तक पहुँच बढ़ाने में भूमिका

कार्यप्रणाली

- प्रतिभागियों को पंचायतों में उनकी भूमिका क्या है? इस विषय पर व अपने विचार पेश करने को कहा जाएगा।
- सत्र–4 में समझी कृषि योजनाओं के आधार पर प्रतिभागियों को उन योजनाओं की सूची बनाने को कहा जाएगा जिन्हें वे निर्वाचित प्रतिनिधि बन जाने के बाद जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि व खाद्य सुरक्षा हेतु बढ़ावा देंगे।
- पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे।
- अब इस विषय पर चर्चा छेड़ी जाएगी जिसमें फैसिलिटेटर और प्रतिभागी मुख्य चर्चा बिन्दुओं को लिखेंगे।

विवरण और जानकारी

सीमा सिंह, प्रशिक्षण विंग, पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना

Website: http://biharpanchayat.gov.in

जेंडर के आधार पर महिलाओं और पुरूषों के बीच विभिन्न स्तरों पर होने वाले भेदभाव (व्यवहार, शिक्षा, खान–पान, भूमिकायें आदि) की ओर इंगित करता है। संसाधनों पर नियंत्रण व उनकी सुविधायें पुरूषों के लिए हैं, जबकि उनकी देखभाल व व्यवस्थित करने का काम महिलाओं का है; जैसे– परिवार, खेत, मकान, पशु, धन आदि पुरूष मुखिया या नेता की भूमिका में हैं और उनकी सत्ता/नियंत्रण में सभी संस्थायें कार्य कर रही है। 'जेंडर' की समझ समाज द्वारा तय किये गये भेदभावों को महिला एवं पुरूषों के सामाजिक/आर्थिक/सांस्कृतिक/धर्मिक व राजनैतिक क्षेत्रों में भी देखने पर जोर देती है। हमारा समाज पितृसत्तात्मक है जिसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखता है।

राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से लेकर भूमिकाओं के निर्वाह तक महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसमें सर्वप्रथम है अशिक्षा व जानकारी का अभाव, असुरक्षित वातावरण और परिवार व सहयोगियों से असहयोग। महिलाओं को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी क्षेत्रों– सामाजिक, आर्थिक, धर्मिक व राजनैतिक में पहल करनी होगी। जब तक नीति निर्माण एवं निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की प्रभावशाली आवाज नहीं होगी तब तक राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में महिलाओं की आवश्यकता और प्राथमिकताओं को स्थान नहीं मिल पायेगा।

यदि राजनैतिक क्षेत्र में देखें तो लोकतन्त्र की प्रक्रिया में महिलाओं एवं पुरूषों की समान भागीदारी कई कारणों से आवश्यक है –

- ग्राम सभा की आधी सदस्य महिलायें है। अतः उनका श्रम, विचार एवं निर्णय गांव के विकास के लिए आवश्यक है।
- बहुत से कार्य केवल महिलाओं द्वारा ही किये जाते है। अतः उनसे जुड़ी समस्याओं का निवारण महिलायें बेहतर ढंग से कर सकती है। अतः ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों में महिला दृष्टिकोण शामिल करना नितांत आवश्यक है। महिलाएं अपनी आवश्यकताओं प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने, उनकी पैरवी/एडवोकेसी करने और महिलाओं के मुद्दों को आगे लाने में मुख्य भूमिका निभा सकती हैं ताकि आवश्यकता के अनुरूप उनके परिवार व समुदाय के साथ जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए बेहतर हस्तक्षेप किया जा सके।
- घर/खेती के कार्यों में महिला–पुरूष दोनों का सक्रिय योगदान रहता है। इसके लिये यह जरूरी है कि निर्णय करने में दोनों की भागीदारी हो।
- शासन में भागीदार बनकर महिलाएं सीमित संसाधनों के समान आवंटन में सहयोग कर सकती है।

सुशासन के अन्तर्गत नीति निर्धारण व निर्णय लेने की प्रक्रिया तक समाज के सभी वर्गों की पूर्ण भागीदारी एक आवश्यक शर्त है। इसमें महिलाओं की अनुपस्थिति उत्तम शासन की परिभाषा को अपूर्ण कर देती हैं।

पंचायत सदस्यों के लिए अन्य सूचना

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (Backward Region Grant Fund – BRGF)

इस कोष का उपयोग विकास की प्रक्रिया में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पहले से पहिचाने गये पिछड़े जिलों में पहले से चल रहे कार्यक्रमों (योजनाओं) को पूरा करने के लिए वित्तीय संशाधन उपलब्ध कराने और योजनाओं को सही तरह से लागू करने के लिए किया जाता है।

इस कोष का उपयोग करने के लिए पंचायतें नीचे लिखी कार्यवाही कर सकती हैं:

- प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति – जो समुदाय (पंचायत के निवासियों) को कृषि, जल प्रबन्धन, पशुपालन, फसल पैदा होने के बाद उसके प्रबंधन तथा कृषि व्यापार के बारे में जानकारी दे सके।
- एक जेंडर सशक्तिकरण समुदाय नेता या स्वयंसेवक की नियुक्ति – जो गॉव में पुरुष व महिला अधिकारों में समानता के लिए कार्य करेगा तथा महिला शिक्षा एवं सूक्ष्म (माइक्रो) वित के लिए कार्यकलापों को करायेगा।
- स्थानीय इंजीनियरी प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति – जो पंचायत में बिजली, हैण्ड पम्प, कृषि पम्प सेट आदि की मरम्मत जैसे छोटी इंजीनियरी के कार्य कर सके।
- इस योजना के द्वारा गॉव में कोई भी व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए, पहले दो वर्षों में हथकरघा, हस्त शिल्प तथा ग्राम उद्योग क्षेत्र में ग्रामीण व्यापार केन्द्र को स्थापित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (R.G.S.Y.)

पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के द्वारा पंचायती राज संस्थानों जिनको बी.आर.जी.एफ. अनुदान नही मिला है उन जिलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। पंचायती राज कार्यकर्ताओं को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बताना व उनको योजनाओं को चलाने व देखरेख करने के लिए ग्रामीण/स्थानीय शासन का प्रभावी प्रतिनिधि बनाना।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (D.R.D.A.)

यह हर जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन, निर्देशन, नियंत्रण तथा उनमें तालमेल बैठाने के लिए मुख्य संस्था है।
इसके प्रमुख कार्य निम्न हैं:

1. जिला के ग्रामीण विकास कार्यों एवं गरीबी दूर करने वाले कार्यक्रमों का पंचायती राज संस्थानों से प्रभावकारी रूप से तालमेल कर इनमें गति लाना है।
2. जिले के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यों को लागू करना व केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि के वित्तीय अनुशासन बनाये रखना।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/महिला/विकालांगों को दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के विशेष लाभों को उन तक पहुचाने में पूर्ण सहयोग करना।
4. डी.आर.डी.ए. की विकास संबंधी प्रगति रिपोर्ट से जिला परिषद, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को समय–समय पर विकास कार्यों की जानकारी देना है।

राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कानून 2005 (NREGA)

इस कानून के मुख्य लाभ हैं – ग्रामीण परिवारों को गरीबी व भुखमरी से बचाना, गॉव के लोगों को शहरों व अन्य राज्यों में जाने से रोकना, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, बुनियादी रोजगार के साथ–साथ स्थानीय संशाधनों का उचित उपयोग, समाज में संतुलन बनाना।

ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियाँ – परियोजनाओं की सिफारिश करना व विकास योजना तथा संभावित कार्यों की सूची के विषय में सुझाव देना, अपने दायरे में हुए कार्यों के क्रियान्वयन पर नजर रखना, लागू की गयी सभी परियोंजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) आयोजित करना।

प्रमुखता के आधार पर किये जाने वाले कार्य – जल संरक्षण व जल संग्रहण, वृक्षारोपण, वनारोपण, सिंचाई के लिए नहर एवं सूक्ष्म व लघु सिचाई के कार्य, भूमि सुधार या इंदिरा आवास योजनाओं के तहत लाभार्थी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सिंचाई उपलब्ध कराने वाले कार्य, परम्परागत जल स्त्रोतों का नवीनीकरण एवं पोखरों, तालाबों का रख–रखाव, भूमि विकास, बाढ नियंत्रण व बचाव एवं पानी निकासी की व्यवस्था, पक्की सड़कों का निर्माण।

Source: http://pri-resources.in/MaterialUpload/CDLG/PanchayatiRaj.pdf

सत्र 7

जो सीखा है उसे कार्यवत करना, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर कार्य–योजना बनाना

कार्यप्रणाली

- फैसिलिटेटर समूह कार्य के लिए अभ्यास का परिचय देंगे।
- पांच लोगों के समूह बनाए जाएँगे और हरेक ग्रुप यह बतायेगा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हुई कृषि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं और अन्य संसाधनों तक पहुँच बढाने में पंचायतें क्या भूमिका निभा सकती हैं।
- प्रत्येक समूह 2–4 कार्यवाहियों को सुनिश्चित करेगा और यह बतायेगा कि कार्य योजना बनाने में वह क्या योगदान देगा?
- इस बारे में सभी समूह एक सूची बनाएँगे।
- प्रत्येक समूह यह भी संकेत देगा कि कैसे कार्य–योजना को सुनिश्चित किया जा सकता है।

विवरण और जानकारी

देश में पंचायतों का एक मुख्य कार्य है ग्राम योजना बनाना। इनमें कई का हम स्थानीय जलवायु–परिवर्त्तन अनुकुलन कार्य–योजनाएं कह सकते हैं। यह स्थानीय कार्य–योजनाएं जलवायु परिवर्तन से महिलाओं के जीवन पर होने वाले दुष्प्रभावों को, कृषि और घरेलू खाद उपलब्धि पर मंडराते खतरा को कम करने में सहायक होगी। साथ–ही–साथ उन महिलाओं की सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं तक पहुंच भी बढ़ेगी। और महिलाए इनमें मुख्य भूमिका निभा सकती हैं।

नीचे कुछ योजनाए दी जा रही है जिन पर प्रतिभागी गौर कर सकतें हैं

- ग्रामपंचायत स्तर पर अनाज बैंक, चारा बैंक व बीज बैंक स्थापित करना।
- महिलाओं के नाम पर छत–वर्षा जल–संचयन संरचनाओं को बनाना।
- महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उपयोग करने के लिए महिला–नेतृत्व परिवारों में सम्बन्धित जमीन पर छोटे वाटर शेड का निर्माण करना
- मुर्गीपालन को बढ़ावा देना।
- कृमि खाद और कम रसायनिक पर आधारित मिश्रित खेती को बढ़ावा देना। बागवानी की मिट्टी उर्वरता को पुर्नजीवित करना।

दिवस-2

सत्र 1

पहले दिन की चर्चा का संक्षेप विवरण

कार्यप्रणाली

- दस प्रतिभागियों को हाल के केन्द्र में बुलाया जायेगा और उनमें से हरेक को चर्चा के किसी एक बिन्दू पर बोलने का कहा जायेगा।
- इस गतिविधि के 3–5 दौर चलेंगे लेकिन पहली पारियों में बुलाये गये प्रतिभागियों को पहले बताये गये बिन्दू से अलग बिन्दु पर बोलना होगा।
- चर्चा समाप्त करने से पहले 2–3 मिनट दिये जायेंगे ताकि प्रतिभागी चर्चा के वैसे बिन्दओं को गिन सके जो ऊपर की गतिविधि में छूट गये हो।

सत्र 2

प्रतिभागियों से फीडबैक लेना और ट्रैनिंग प्रोग्राम समापन करना।

कार्यप्रणाली

- कमरे के तीन अलग–अलग भागों में 3 फ्लिप चार्ट की शीटों को अलग–अलग दीवारों पर चिपकाओ।
- उनमें से एक पर शीर्षक (हेडिंग) में लिखो – आप क्या पसंद करते थे?; दूसरे पर – आप क्या पसंद नहीं करते थे?; और तीसरी शीट पर शीर्षक (हेडिंग) में आप अपने सुझाव लिखो।
- उन शीटों में से प्रत्येक शीट की जिम्मेदारी एक पढी–लिखी महिला को सौंपें।
- प्रतिभागी कमरें में शीटों को भरने के लिए जायें। वे उन्हें स्वयं भरें या भरने में सहयोगियों की मदद लें।
- अन्त में, प्रत्येक सहयोगी अपनी शीट को पढेंगीं।
- यहॉ पर बहस की आवश्यकता नहीं है लेकिन दक्ष व्यक्ति (फैसिलिटेटर) को इस पर अपनी टिप्पणी अवश्य देनी होगी।
- समाप्त करने के लिए, दक्ष व्यक्ति (फैसिलिटेटर) प्रशिक्षण की विषय–सूची और आगे के कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं।
- दक्ष व्यक्ति (फैसिलिटेटर), सहभागियों को उनके समय व मेहनत के लिए धन्यवाद और भविष्य में उनके कार्य करने के नये तरीकों के लिए शुभकामनायें देंगे।